मुन्तकिली प्रकरण सं0 05/2016 मलकीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 1 केके तहीसल पदमपुर बनाम 1—राजविन्द्र कौर पत्नि स्व0 हरविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 केके तह0 पदमपुर 2—मनजोत सिंह हरविन्द्र सिंह पुत्र मलकितसिंह जाति जटसिख निवासी 1 केके तहसील पदपमरु नाबालिग जरिये राजविन्द्र कौर माता 3—समिन्द्र सिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी 1 केके तहसील पदमपुर 4—तहसीलदार पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.03.2016

प्रार्थी के अभिभाषक ज्योति स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 के अभिभाषक श्री अशोक कुमार उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लंबित दावा संख्या 15/2008 अनवानी हरविन्द्र सिंह आदि बनाम मलकित सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लंबित दावा संख्या 15/2008 अनवानी हरविन्द्र सिंह आदि बनाम मलकित सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर